

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- ०४/०३/२०२५

विषय:- प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में राज्य के बांका जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रु० 4,02,31,00,000/- (रुपये चार अरब दो करोड़ इकतीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ एवं युवाओं के समक्ष तकनीकी और उच्च शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं राज्य में ही बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसी क्रम में बांका में प्रतिवर्ष 100 नामांकन क्षमता का चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय दिनांक-02.02.2025 को प्रगति यात्रा के चतुर्थ चरण में जिले के भ्रमण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-105, दिनांक-04.02.2025 को इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश विभाग को प्राप्त हुये हैं।

2- तदक्रम में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-10581 दिनांक-04.02.2025 द्वारा इस योजना अर्थात् 100 नामांकन क्षमता एवं 430 बेड राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बांका के भवन निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु रु० 4,02,31,00,000/- (रुपये चार अरब दो करोड़ इकतीस लाख) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन (प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव) उपलब्ध कराया गया है।

3- प्रस्तावित परियोजना हेतु नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन CPWD Plinth Area Rate 2021 के आधार पर तैयार किया गया है। तैयार प्राक्कलन में National Medical Council (NMC) 2020 एवं IPHS Guidelines 2022 के अनुसार न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए Teaching Hospital एवं College Campus को अलग-अलग भू-खंडों में स्थापित किया जाना है। इस संदर्भ में Teaching Hospital के रूप में लगभग 98 कि०मी० पर अवस्थित वर्तमान सदर अस्पताल का उपयोग किया जाना है। विषयांकित परियोजना के लिए 25 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की जा चुकी है।

4- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे:-

(क) बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

✓

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी0डब्ल्यू0डी0 कोड एव अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही संबंधित अभियन्ता की होगी।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए संबंधित अभियन्ता जिम्मेवार माने जायेंगे।

5- उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव है कि प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में राज्य के बांका जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एव जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रू० 4,02,31,00,000/- (रुपये चार अरब दो करोड इकतीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6- इस व्यय का वहन मॉग सख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 050 भूमि-0103-नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030500103, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि एवं आगामी वर्षों में प्राप्त उपबंध से किया जाएगा।

7- इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- अवर सचिव-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

9- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि० दिनांक-17.04.1998, 8543/वि० दिनांक-27.11.2007, 2199/वि० दिनांक-24.03.2017, 3758/वि० दिनांक-31.05.2017, 9470/वि० दिनांक-20.10.2023 एवं 12888/वि० दिनांक-03.12.2024 के आलोक में की जायेगी।

11- प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-25.02.2025 में मद संख्या-25 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

12- राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या -7/MCH-35-34/2024 के पृष्ठ-12..../टि० में प्राप्त है।

13- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

✓

- 14-- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
15-- यह मात्र राज्यादेश है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-7/MCH-35-34/2024- 484 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक-07/03/2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-25.02.2025 में मद सख्या-25 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, बांका/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशारान), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव